प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1565/2010

याचिकाकर्ता कांकेर रोडवेज, कांकेर

विरुद्ध

प्रतिवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश की घोषणा के लिए नियत दिनांक: 26 सितंबर, 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1565/2010

याचिकाकर्ता कांकेर रोडवेज, कांकेर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित : - याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री सुदीप जोहरी एवं श्री अजय मिश्रा, अधिवक्तागण

छत्तीसगढ़ राज्य/ क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता

(आज दिनांक 26 सितंबर, 2011 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने अधिसूचना क्रमांक एफ-5-58/दो/व्हीआईआईआई-ट्रांस./2007 दिनांक 2 मार्च, 2007 (अनुलग्नक-पी/5) तथा सहायक सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण (संक्षेप में "एसटीए"), छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 सितंबर, 2009 (अनुलग्नक-पी/8) को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसकी दिनांक 1 सितंबर, 2009 की आवेदन अस्वीकृत कर दी गई है तथा प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की प्रार्थना की है कि वे रायपुर (छत्तीसगढ़) से चंद्रपुर (महाराष्ट्र) मार्ग पर अस्थायी परमिट प्रदान करें, जो पावर

हाउस, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगांव, बंधा बाजार, चौकी, मोहला, मानपुर, सावरगांव, मुरुमगढ़, धनौरा, चंदगांव, गढ़चिरौली, समिति, मूल, चिचपल्ली होते हुए वापसी की यात्रा करे।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सार यह है कि याचिकाकर्ता एक भागीदारी फर्म है जो परिवहन व्यवसाय में संलग्न है। नए राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महाराष्ट्र राज्य के साथ पारस्परिक समझौता न होने के कारण अस्थायी परमिट प्रदान किए गए थे। ऐसे ही एक मार्ग का नाम रायपुर (छत्तीसगढ़) से चंद्रपुर (महाराष्ट्र) है, जो पावर हाउस, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगांव, बंधा बाजार, चौकी, मोहला, मानपुर, सावरगांव, मुरुमगढ़, धनौरा, चंदगांव, गढ़चिरौली, समिति, मूल, चिचपल्ली होते हुए वापसी की यात्रा करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दिनांक 3 मार्च, 2003 को एसटीए ने याचिकाकर्ता को वाहनों क्रमांक पीबी-12-डी-9596 एवं पीबी-12-डी-9502 के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 मई, 2003 तक अस्थायी परमिट प्रदान किया (अनुलग्नक-पी/1)। तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "एमवी अधिनियम, 1988") की धारा 88(7) के प्रावधानों के अनुरूप उसी मार्ग पर समय-समय पर अस्थायी परमिट प्रदान किए गए। अंतिम अस्थायी परमिट दिनांक 1 जुलाई, 2009 से 30 सितंबर, 2009 तक प्रदान किया गया (अनुलग्नक-पी/3)।

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 86(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों ने इन दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक परिवहन समझौता (संक्षेप में 'समझौता') करने का निर्णय लिया तथा एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 88(5) के अंतर्गत दिनांक 26 अगस्त, 2003 को अधिसूचना जारी कर प्रस्ताव प्रसारित किया गया जिसमें संबंधित व्यक्तियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए। अभ्यावेदन दिनांक 26

सितंबर, 2003 तक दाखिल किए जाने थे। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 23 सितंबर, 2003 को अपना अभ्यावेदन दाखिल किया (अनुलग्नक-पी/4) अर्थात् निर्धारित अवधि के भीतर।

5. दिनांक 2 मार्च, 2007 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में कहा गया कि यद्यपि संबंधित व्यक्तियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए थे, किंतु राज्य सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 23 सितंबर, 2003 को अपना अभ्यावेदन दाखिल किया था। तथापि, अचानक दिनांक 22 अप्रैल, 2009 (अनुलग्नक-पी/6) को प्रतिवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि अस्थायी परमिट क्यों निरस्त न किया जाए, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दाखिल किया। तत्पश्चात्, दिनांक 29 सितंबर, 2009 (अनुलग्नक-पी/8) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया गया अस्थायी परमिट निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता उक्त मार्ग पर अस्थायी परमिट के लिए निरंतर आवेदन कर रहा है, किंतु प्राधिकारियों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जायसवाल, श्री जोहरी एवं श्री मिश्रा के साथ तर्क दिया कि दिनांक 29 सितंबर, 2009 का विवादित आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया गया अस्थायी परमिट निरस्त किया गया है, वह बिना किसी प्राधिकार के है। एमवी अधिनियम, 1988 में अंतरराज्यीय परमिट निरस्त करने या कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। श्री जायसवाल ने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, रायपुर (छत्तीसगढ़) से चंद्रपुर (महाराष्ट्र) मार्ग पर याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया

अस्थायी परमिट दोनों राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। दिनांक 2 मार्च, 2007 की अधिसूचना एवं विवादित आदेश दिनांक 29 सितंबर, 2009 सार्वजनिक हित के विरुद्ध एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(**g**) का उल्लंघन करने वाले हैं। यह भी तर्क दिया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण अनुसूचित मार्ग से भिन्न मार्ग पर अस्थायी परमिट प्रदान करने के लिए सक्षम है।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री ठाकुर ने तर्क दिया कि पारस्परिक परिवहन समझौते में प्रवेश करने से पूर्व, समझौते के प्रस्ताव (ड्राफ्ट समझौता) को एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 85(5) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26 अगस्त, 2003 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 27 अगस्त, 2003 को दैनिक समाचारपत्र में भी ड्राफ्ट समझौता प्रकाशित किया गया तथा संबंधित व्यक्तियों से 1 अक्टूबर, 2003 से पूर्व आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। तदनुसार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 को तत्कालीन प्रधान सचिव, परिवहन अधिसूचना में निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित थे। उक्त बैठक में याचिकाकर्ता सहित कुछ व्यक्ति उपस्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री ठाकुर ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 6 जुलाई, 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुंबई के सचिव, परिवहन एवं वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त को पत्र लिखा गया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मार्ग में कुछ अतिरिक्त मार्ग जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। महाराष्ट्र राज्य की ओर से उक्त पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। अंततः दिनांक 22 जनवरी, 2007 को दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक परिवहन समझौता निष्पादित किया गया जिसमें दोनों राज्यों को आवंटित मार्गों की सूची प्रकाशित की गई अर्थात् अनुलग्नक-'ए' एवं 'बी'। अनुलग्नक-'बी' में छत्तीसगढ़ को आवंटित अंतरराज्यीय मार्ग प्रकाशित किया गया, जिसमें क्रमांक 4 पर

राजनांदगांव से चंद्रपुर मार्ग डोंगरगांव, चौकी, मोहला, मानपुर, सावरगांव, गढ़चिरौली होते हुए चार एकल यात्राओं के परमिट के लिए प्रकाशित किया गया।

9. तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने रायपुर-चंद्रपुर मार्ग दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगांव, चौकी, मोहला, मानपुर, सावरगांव एवं गढ़चिरौली होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को अतिरिक्त आवंटित करने का सुझाव दिया। तदनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 6 जुलाई, 2004 के पत्र द्वारा महाराष्ट्र राज्य से उक्त मार्ग जोड़ने का अनुरोध किया, किंतु महाराष्ट्र राज्य की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। महाराष्ट्र राज्य की सहमति न होने के कारण उक्त मार्ग छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित मार्गों की सूची में नहीं जोड़ा जा सका। अतः याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए तथा याचिका खारिज की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना, अभिवचनों एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

11. सुविधा के लिए, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों के बीच हुए पारस्परिक समझौते की शर्तों का परीक्षण करना आवश्यक है, जो दिनांक 2 मार्च, 2007 (अनुलग्नक पी/5) के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। स्टेज कैरिज परमिट की शर्तें एवं नियम, जो वर्तमान मामले में विवादित हैं, निम्नानुसार हैं:

1. स्टेज कैरिज परमिट: -

(क) स्टेज कैरिज के लिए अंतरराज्यीय मार्ग का अर्थ है सीमा के दोनों ओर मुख्य टर्मिनल बिंदुओं को सबसे छोटे मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग जब तक कि किसी विशेष मामले में आपसी सहमति से अन्यथा न निर्धारित किया जाए।

(ख) संचालन में ट्रिप्स की क्रमांक एवं वाहनों की क्रमांक अनुलग्नक 'ए' एवं 'बी' के अनुसार होगी।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत स्टेज कैरिज वाहन बॉम्बे मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में लागू मोटर वाहन कर से मुक्त होंगे किंतु बॉम्बे मोटर वाहन (यात्रियों पर कराधान) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत यात्रियों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(घ) महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत एवं इस समझौते के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्टेज कैरिज वाहन छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 191 के अंतर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ङ) पारस्परिक राज्य में संचालक द्वारा वसूली जाने वाली किराया एवं माल ढुलाई उन सेवाओं के लिए उस राज्य के संचालकों द्वारा वसूले जाने वाले किराए से कम नहीं होगी। एक राज्य द्वारा जारी टिकट पारस्परिक राज्य में मान्य होगा।

(च) किसी अंतरराज्यीय मार्ग के एक राज्य में स्थित अंश के विस्तार या परिवर्तन को उस राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकरण से पूर्व परामर्श के बिना किया जा सकता है किंतु ऐसे परिवर्तन की सूचना पारस्परिक राज्य को देना आवश्यक होगा।

(छ) दोनों राज्यों के नामितों द्वारा संचालित स्टेज कैरिज की सीमा से 20 किलोमीटर तक मोटर योग्य सड़कों पर संचालन विस्तारित करने के

लिए सहमति है, जो पारस्परिक राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के अधीन होगा।

(ज) अनुसूचियों में उल्लिखित मार्गों पर स्थायी परमिट प्रदान होने तक, संबंधित राज्यों के नामितों को अस्थायी परमिट जारी किए जाएंगे और/अथवा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(झ) स्टेज कैरिज बस अंतरराज्यीय मार्ग पर संचालित नहीं होगी यदि वह अपने प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक आयु की हो।

(ञ) यदि अनुसूची 'ए' एवं 'बी' में दिखाए गए मार्गों की दूरी में कोई विसंगति पाई जाए तो राज्यों के मध्य पत्राचार द्वारा उसे सुधारा जाएगा तथा उसे समझौते में संशोधन नहीं माना जाएगा।

(ट) किसी भी राज्य द्वारा खड़े यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ठ) प्रतिहस्ताक्षरी प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में परमिट प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी समय-सारणी में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 निम्नानुसार है:

"**87. अस्थायी परमिट**.—(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक चार मास की सीमित अवधि के लिए प्रभावी होंगे और जो अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेंगे, अर्थात्:

(क) यात्रियों को

(ख) मौसमी कारबार के प्रयोजनों के लिए; या

अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों में, ले जाने और वहां से लाने के लिए; या

(ग) किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए; या

(घ) परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक के लिए,

और ऐसे किसी परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेंगे जो वे ठीक समझते हैं :

परन्तु, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, माल वाहकों की दशा में, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, चार मास से अधिक किंतु एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परमिट दे सकेंगे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के अधीन किसी मार्ग या क्षेत्र की बाबत अस्थायी परमिट

(i) उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र के लिए कोई परमिट किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश के कारण जिससे उसका दिया जाना रोक दिया गया है, धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के अधीन नहीं दिया जा सकता, इतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी उससे अधिक न हो, जिसके लिए परमिट का दिया जाना ऐसे रोक दिया गया है, या

(ii) उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र की बाबत किसी यान के परमिट को किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किए जाने के परिणामस्वरूप उसी वर्ग के किसी परिवहन यान के पास उसी मार्ग या क्षेत्र की बाबत विधिमान्य परमिट नहीं है, अथवा उस मार्ग या क्षेत्र के लिए ऐसे

यानों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी ऐसे निलंबन की अवधि से अधिक न हो :

परन्तु उन परिवहन यानों की संख्या, जिनकी बाबत अस्थायी परिमिट इस प्रकार दिए गए हैं, उन यानों की संख्या से अधिक न होगी जिनकी बाबत, यथास्थिति, परमिटों का दिया जानो रोक दिया गया है या परमिट निलंबित कर दिया गया है ।

13. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(7) जो अंतरराज्यीय मार्ग पर अस्थायी परमिट से संबंधित है, निम्नानुसार है:

"88(7) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अधीन ऐसा अस्थायी परमिट दे सकेगा, जो, यथास्थिति, उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की या उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण की साधारणतया दी गई या विशिष्ट अवसर के लिए दी गई सहमति से अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान्य होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्ता क्रमांक 5 के मार्ग से संबंधित है अर्थात् चंद्रपुर से रायपुर पावरहाउस, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगांव, बंधाबाजार, चौकी, मोहला, मानपुर, सरगांव, मुरमगांव, धनौरा, चंदगांव, गढ़चिरौली, सांवली, मूल एवं चिचपल्ली होते हुए। समझौते की खंड 1(च) यह उपबंधित करती है कि अंतरराज्यीय मार्ग के किसी राज्य में स्थित अंश का विस्तार या परिवर्तन उस राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकरण से पूर्व परामर्श के बिना किया जा सकता है किंतु दूसरे राज्य में स्थित मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

15. श्री जायसवाल का तर्क कि अंतरराज्यीय परमिट के मामले में पारस्परिक राज्य की सहमति या प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं है, खारिज किया जाता है क्योंकि एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (7) जो सर्वोपरि खंड है, अंतरराज्यीय मार्ग पर अस्थायी परमिट प्रदान करने के लिए दूसरे क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अथवा दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण की सामान्य अथवा विशेष अवसर की सहमति के साथ प्रदान करने का उपबंध करती है। अतः दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकरण की सहमति के बिना अंतरराज्यीय मार्ग पर कोई अस्थायी परमिट प्रदान नहीं किया जा सकता। एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 88(7) के अंतर्गत परमिट का अनुदान धारा 87 के प्रावधानों के अधीन है। अतः विवादित आदेश दिनांक 29 सितंबर, 2009 (अनुलग्नक पी/8) में कोई त्रुटि नहीं है। याचिकाकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष नया आवेदन कर सकता है तथा प्राधिकारी उसे विधि के प्रावधानों के अनुसार, जैसा यहां व्याख्यायित किया गया है तथा दिनांक 2 मार्च, 2007 (अनुलग्नक पी/5) की अधिसूचना के अनुसार विचार करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दिनांक 2 मार्च, 2007 (अनुलग्नक पी/5) की अधिसूचना को चुनौती दी गयी है इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन किया था किंतु उस पर विचार किए बिना अधिसूचना जारी की गई, तथ्यों के प्रतिकूल प्रतीत होती है क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है कि समझौते प्रारूप का प्रस्ताव (ड्राफ्ट) दिनांक 26 अगस्त, 2003 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें सभी संबंधितों से 1 अक्टूबर, 2003 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। आपत्तिकर्ताओं की बैठक दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 को हुई थी। याचिकाकर्ता उपस्थित था तथा अपनी आपत्ति उठा सकता था।

17. याचिकाकर्ता का तर्क कि अधिसूचना में कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया, सही नहीं है क्योंकि पहले कंडिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की सरकारों को नई सेवाओं के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

18. याचिकाकर्ता की आपत्ति की अस्वीकृति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या सरकारी कार्रवाई में निष्पक्षता के उल्लंघन के समान नहीं है। याचिकाकर्ता ने भिन्न मार्ग की मांग की जो छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र सरकारों को स्वीकार्य नहीं हुआ, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आपत्ति पर विचार नहीं किया गया तथा अधिसूचना जारी की गई जो अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन है। अतः दिनांक 2 मार्च, 2007 की अधिसूचना के विरुद्ध याचिकाकर्ता की चुनौती निराधार एवं आधारहीन है तथा खारिज की जाती है ।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. श्री जायसवाल द्वारा हृदयनंद तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य[1] के लिए मामले का अवलम्बन किया गया है उन्हें कोई सहायता नहीं करता क्योंकि माननीय एकल न्यायाधीश ने नियमानुसार अभिनिर्धारित किया कि यदि दो राज्यों के बीच स्टेज कैरिज परमिट समाप्त हो गया हो तो दोनों राज्यों का परिवहन प्राधिकरण नया अस्थायी परमिट जारी कर सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता स्वयं समझौते के लागू होने से पूर्व अस्थायी परमिट के आधार पर बस चला रहा था।

20. अश्वनी कुमार एवं अन्य बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बीकानेर[2] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

> "7. अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए तर्कों को स्वीकार करने से अधिनियम का उद्देश्य विफल होगा। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या

[1] एआईआर 2001 एमपी 17

[2] एआईआर 1999 एससी 3888

युक्तिसंगत, विधिक एवं उचित है। अंतरराज्यीय मार्ग के अस्तित्व के अभाव में अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों द्वारा अपीलकर्ताओं को परमिट प्रदान करना उचित नहीं था। परमिट का अस्तित्व मार्ग को शामिल करने वाले राज्यों के बीच पारस्परिक समझौतों पर निर्भर करता है जो इस मामले में विद्यमान नहीं थे। परमिट प्रदान करने वाले प्राधिकरण के आदेश अपीलकर्ताओं के पक्ष में अधिकारिता के विहीन थे।"

21. उपर्युक्त के दृष्टिगत तथा ऊपर दिए गए कारणों से मामले में कोई सार नहीं है तथा याचिका खारिज की जाती है।

22. व्यय संबंधी कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shriya Jaiswal, Advocate